कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः– शिविरा–प्रारं/नियु प्रको./नियु–2/982/शिक्षक भर्ती–2018/लेवल–प्रथम/2018 दिनांकः–12.04.2018

विज्ञापन संख्या–02/2018

अनुसूचित क्षेत्र (TSP Area) हेतु तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल प्रथम की भर्ती

प्रारम्भिक शिक्षा विभाग द्वारा राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 एवं राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 के प्रावधानानुसार राजस्थान प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती, 2018 के अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्र हेतु तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल–प्रथम के 5503 पदों पर निम्नानुसार ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं :–

1	ऑनलाईन आवेदन करने की अवधि	**दिनांक 14.04.2018 से 30.04.2018 के रात्रि 12:00 बजे तक**
2	इच्छुक आवेदक उक्त निर्धारित अवधि में विभागीय वेबसाइट www.education.rajasthan.gov.in/elementary व http://sso.rajasthan.gov.in पर ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं। विस्तृत विज्ञप्ति तथा जिलेवार पदों का विवरण विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध है ।	

क्र.सं.	पदनाम	पद संख्या	योग्यताएं	आयु (दिनांक 01.01.2019 को)	वेतनमान
1	तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल–प्रथम, **सामान्य शिक्षा** स्तर–(i) कक्षा 1 से 5 तक	5431	निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 35) की धारा 23 की उपधारा (1) के उपबन्धो के अधीन राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्/भारतीय पुनर्वास परिषद् द्वारा समय–समय पर यथा अधिकथित अर्हताऐं और रीट/आरटेट उत्तीर्ण किया हुआ होना चाहिए।	न्यूनतम 18 एवं अधिकतम 40 वर्ष से कम	पुनरीक्षित वेतनमान, 2017 की पै–मैट्रिक्स के लेवल 10 के अनुसार परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में रू. 23700/– नियत पारिश्रमिक
2	तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल–प्रथम, **विशेष शिक्षा** स्तर–(i) कक्षा 1 से 5 तक	72			

नोटः–

1. अनुसूचित क्षेत्र (TSP Area) के विज्ञाप्ति पदों के विरूद्ध केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के मूल निवासी ही आवेदन करने हेतु पात्र है।
2. उपरोक्त विज्ञापित पदों की इन रिक्तियों में नियमानुसार आरक्षण एवं अधिकतम आयु सीमा में छूट देय होगी, ऊपरी आयु सीमा में छूट का लाभ उक्त पदों के वर्गीकरण (Category wise) के अनुसार ही देय होगा अर्थात् अगर किसी वर्ग (Category) के लिए कोई पद आरक्षित नहीं होगा तो उस वर्ग के अभ्यर्थी को ऊपरी आयु सीमा में तत्सम्बन्धी छूट का लाभ देय नहीं होगा, विवरण विस्तृत विज्ञप्ति में अंकित है।
3. राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र (TSP Area) में पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग हेतु कोई पद आरक्षित नहीं होने के कारण इस वर्ग के अभ्यर्थी को ऊपरी आयु सीमा में तत्सम्बन्धी छूट का लाभ देय नहीं होगा, इस वर्ग के अभ्यर्थी सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी के रूप में आवेदन कर सकेंगे।
4. नियुक्त होने वाले अभ्यर्थियों के लिए राज्य सरकार के नियमानुसार अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।
5. आवेदन पत्र ऑन–लाईन अंतिम रूप से Submit होने के पश्चात् Editing की अनुमति नहीं होगी।
6. अभ्यर्थी ऑन–लाईन आवेदन भरने से पूर्व विभाग की विस्तृत विज्ञप्ति, FAQ एवं पंचायत राज नियमों का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर स्वयं की पात्रता सुनिश्चित कर ही आवेदन करें।
7. अभ्यर्थी ऑन लाईन आवेदन पत्र अन्तिम रूप से Submit करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि ई–मित्र/जनसुविधा केन्द्र/स्वयं द्वारा आवेदन पत्र में की गई प्रविष्टियां सही भरी गई है, त्रुटिपूर्ण एवं असत्य प्रविष्टियों के लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
8. उक्त विज्ञाप्ति पदों में कमी, वृद्धि किए जाने हेतु विभाग स्वतंत्र रहेगा, जिसके लिए अलग से विज्ञप्ति जारी नहीं की जावेगी एवं ना ही शुल्क लौटाया जावेगा।

आवेदक अपने आवेदन के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के मार्गदर्शन/सूचना/स्पष्टीकरण के लिए उक्त निर्धारित अवधि के कार्य दिवसों में प्रातः 09:30 से सायं 06:00 बजे तक निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर पर व्यक्तिगत रूप से अथवा हेल्प लाईन नम्बर 0151–2207047 पर कार्यालय समय में सम्पर्क कर सकते है तथा विभागीय वेबसाईट पर समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों का अवलोकन करें।

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर।